



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेल सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

दिनांक: 3.7.2024

याचिका सं.52 / टीएल / 2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

कोप्ल || गडग || द्रांसमिशन लिमिटेड (अफ पारवर्षिय कोप्ल गडग द्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जात), बी-9, कुलब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्णय, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "कर्नाटक में कोप्ल-॥ (फेज-ए एंड बी) और गडग-॥ (फेज-ए) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-॥) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना" के लिए अंतर-राजिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है।

ए. कर्नाटक में कोप्ल-॥ (फेज-ए) और गडग-॥ (फेज-ए) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-॥) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
ए१	<p>400 केवी रसर पर प्रत्येक 4500 एमवीए के दो (2) खंडों के प्रावधान और 220 केवी रसर पर प्रत्येक 2500 एमवीए के चार (4) खंडों के प्रावधान के साथ 765 / 400 केवी 2x1500 एमवीए, 400 / 220 केवी, 2x500 एमवीए कोप्ल-॥ (फेज-ए) पूलिंग स्टेशन की स्थापना 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर (1 स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए)</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (कोप्ल-॥ - नरेन्द्र (नया) 765 केवी डी / सी लाइन के समापन के लिए कोप्ल-॥ पर) 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 1 नंबर 220 केवी द्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 1 नंबर <p>भावी स्थान प्रावधान: (फेज-बी के लिए स्थान सहित)</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी - 5 नंबर 765 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 10 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर 765 केवी लाइन बे - 8 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) 400 केवी लाइन बे - 14 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) 220 केवी लाइन बे - 12 नंबर 220 केवी बस सेक्षनलाइज़र: 3 सेट 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 3 नंबर 220 केवी द्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 3 नंबर 400 केवी बस सेक्षनलाइज़र: 1 सेट 	एसपीवी अंतरण से 24 मास
ए२	<p>कोप्ल-॥ पीएस छोर पर 240 एमवीएआर एसएलआर के साथ कोप्ल-॥ पीएस - नरेन्द्र (नया) 765 केवी डी / सी लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर [नरेन्द्र (नया) पर] कोप्ल-॥ पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर - 2 नंबर (1 स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर) 	
ए३	<p>कोप्ल-॥ पीएस पर 2x330 एमवीएआर (765 केवी) एवं 2x125 एमवीएआर (400 केवी) बस रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी, 330 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नंबर (बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर दोनों के लिए 1 स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर) 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नंबर 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नंबर 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर बे - 2 नंबर 	
ए४	<p>400 / 220 केवी, 2x500 एमवीए गडग-॥ (फेज-ए) पूलिंग स्टेशन की स्थापना</p> <ul style="list-style-type: none"> 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 400 केवी लाइन बे - 2 नंबर (गडग-॥ - कोप्ल-॥ लाइन के समापन के लिए गडग-॥ पर) 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 1 नंबर 220 केवी द्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 1 नंबर <p>भावी स्थान प्रावधान:</p> <ul style="list-style-type: none"> 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 10 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर 400 केवी लाइन बे - 6 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) 220 केवी लाइन बे - 10 नंबर 220 केवी बस सेक्षनलाइज़र: 3 सेट 220 केवी बस कप्लर (टीबीसी) बे - 3 नंबर 220 केवी द्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 3 नंबर 	
ए५	<p>गडग-॥ पीएस - कोप्ल-॥ पीएस 400 केवी (व्हाड मूज) डी / सी लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> 400 केवी लाइन बे - 2 (कोप्ल-॥ पर) 	
ए६	<p>गडग-॥ पीएस पर 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नंबर 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर बे - 2 नंबर 	

बी. कर्नाटक में कोप्ल-॥ (फेज-बी) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-॥) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
बी१	<p>कोप्ल-॥ पीएस छोर पर 330 एमवीएआर एसएलआर के साथ कोप्ल-॥ पीएस - रायचूर 765 केवी डी / सी लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (कोप्ल-॥ पर) 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (रायचूर पर) कोप्ल-॥ पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर - 2 नंबर (6x110 एमवीएआर) 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर के लिए रिविंग इविंगपैट - 2 नंबर 	एसपीवी अंतरण से 24 मास
बी२	<p>कोप्ल-॥ पीएस पर 2x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी आईसीटी से संवर्धन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी - 2 नंबर 765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 	
बी३	<p>कोप्ल-॥ पीएस पर 2x500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी से संवर्धन</p> <ul style="list-style-type: none"> 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर 220 केवी बस सेक्षनलाइज़र: 1 सेट 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 1 नंबर 220 केवी द्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 1 नंबर 	

नोट:

1. पारवर्षिय, कोप्ल-॥ पीएस - रायचूर 765 केवी डी / सी लाइन के समापन के लिए रायचूर पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. कार्यान्वयन समाप्ती-सीमा: सालोकीकरण को एसपीवी अंतरण की तारीख से 24 मास।

3. सेंट्रल द्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 29.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध समाप्ती के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 52 / टीएल / 2024 में दिनांक 2.7.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुमति जारी किया जाने का प्रत्याप किया है।

5. कोप्ल-॥ गडग। द्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समझ किए गए अनुवंश एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergridindia.com पर देखा जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपचारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उत्तर के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उत्तर पते पर दिनांक 18.7.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंवेक से उपरिष्ठ रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई दीए / दीए नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर / -

(हरप्रीत सिंह पृथु)

सचिव